

प्रेषक,

उदय भानु त्रिपाठी
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पेंशन निदेशालय,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

नियुक्ति अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 31 जनवरी, 2018

विषय:- श्री सत्येन्द्र नाथ शुक्ल, से0नि0, पी0सी0एस0-2006 के पेंशन, राशिकरण, उपादान प्रपत्रों का प्रेषण।

महोदय,

श्री सत्येन्द्र नाथ शुक्ला, पी0सी0एस0, जो अपनी अधिवर्षता आयु के उपरान्त दिनांक 31-12-2017 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, से प्राप्त पेंशन, राशिकरण प्रपत्रों की दो प्रतियाँ संलग्न कर भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री सत्येन्द्र नाथ शुक्ला के पक्ष में कोई देयता अवशेष नहीं है। अतः इनका पेंशन, राशिकरण, उपादान प्राधिकार पत्र निर्गत करते हुए उसकी सूचना शासन को यथासमय उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोक्त ।

भवदीय,

(उदय भानु त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि श्री सत्येन्द्र नाथ शुक्ल, से0नि0 पी0सी0एस0 पता-एच0आई0जी0-172, शास्त्रीपुरम, गोरखनाथ रोड, गोरखपुर, उ0प्र0 को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(धनन्जय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-11/2018/108/दो-2-2018-28/2(30)/2017
लखनऊ: दिनांक: 31 जनवरी, 2018

श्री सत्येन्द्र नाथ शुक्ल, पी0सी0एस0, जो अपनी अधिवर्षता आयु के उपरान्त दिनांक 31-12-2017 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, को वित्त सामान्य अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-393/दस-99-2000-88 दिनांक 01-07-99 में निहित प्रतिबन्धों के अधीन सेवानिवृत्ति की तिथि तक देय अवकाश के नकदीकरण की स्वीकृति, जो 300 दिन से अधिक न हो, प्रदान की जाती है।

उदय भानु त्रिपाठी
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- संयुक्त सचिव, इरला चेक (वेतन पर्ची अनुभाग), उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- श्री सत्येन्द्र नाथ शुक्ल, से0नि0 पी0सी0एस0 पता-एच0आई0जी0-172, शास्त्रीपुरम, गोरखनाथ रोड, गोरखपुर, उ0प्र0 ।

आज्ञा से,

(धनन्जय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-11/2018/391/दो-2-2018-28/2(30)/2017
लखनऊ: दिनांक: 31 जनवरी, 2018

संयुक्त सचिव,
इरला चेक (वेतन पची प्रकोष्ठ),
उ०प्र० शासन।

श्री सत्येन्द्र नाथ शुक्ल, पी०सी०एस०, जो अपनी अधिवर्षता आयु के उपरान्त दिनांक 31-12-2017 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, से प्राप्त जी०आई०एस० प्रपत्रों की तीन प्रतियाँ मूलरूप में संलग्न कर भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अग्रेतर कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही से नियुक्ति अनुभाग-2 को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोक्त।

(उदय भानु त्रिपाठी)

विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि श्री सत्येन्द्र नाथ शुक्ल, से०नि० पी०सी०एस० पता-एच०आई०जी०-172,
शास्त्रीपुरम, गोरखनाथ रोड, गोरखपुर, उ०प्र० को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(धनन्जय शुक्ल)

संयुक्त सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-11/2018/392 /दो-2-2018-28/2(30)/2017
लखनऊ: दिनांक: 31 जनवरी, 2018
आदेश

श्री सत्येन्द्र नाथ शुक्ल, से0नि0, पी0सी0एस0-2006 के भविष्य निधि खाता संख्या-जी0ए0यू0-75483 में कुल जमा धनराशि के 90 प्रतिशत के भुगतान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- श्री सत्येन्द्र नाथ शुक्ल, पी0सी0एस0 के जी0पी0एफ0 खाते में महालेखाकार कार्यालय के पत्रांक-निधि-20/मिलान डायरी-301 दिनांक 17-11-2017, जिसमें वर्ष 2016-2017 तक कुल जमा धनराशि रू0-19,87,522/- (रू0-उन्नीस लाख सत्तासी हजार पांच सौ बाईस मात्र) की 90 प्रतिशत धनराशि रू0-17,88,769/- अर्थात रू0-17,88,770/- (रूपये सत्रह लाख अटठासी हजार सात सौ सत्तर मात्र), के भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-ए0जी057/दस-84-510/84, दिनांक 26-12-84 के साथ पठित शासनादेश संख्या-सा-4-ए0जी058/दस-84-510/84 दिनांक 12-01-90 के अधीन स्वीकृत किए जा रहे हैं।

4- प्रमाणित किया जाता है कि भुगतान की जा रही जी0पी0एफ0 की धनराशि श्री सत्येन्द्र नाथ शुक्ल के जी0पी0एफ0 खाते में जमा धनराशि के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

उदय भानु त्रिपाठी
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- जिलाधिकारी, संतकबीरनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया श्री सत्येन्द्र नाथ शुक्ल, पी0सी0एस0, तत्कालीन अपर जिलाधिकारी (वि/रा), संतकबीरनगर के भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि की 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान कराने का कष्ट करें।
- 3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार, संतकबीरनगर।
- 4- श्री सत्येन्द्र नाथ शुक्ल, से0नि0 पी0सी0एस0 पता-एच0आई0जी0-172, शास्त्रीपुरम, गोरखनाथ रोड, गोरखपुर, 30प्र0 ।

आज्ञा से,

(धनन्जय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।